

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत : सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर
जिला हनुमानगढ
पालाराम आदि बनाम ईश्वर आदि

किस्म मुकदमा : 212 आर.टी. एक्ट

प्रकरण संख्या 173 / 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
10.07.2024	<p>यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत जरिये वकील प्रस्तुत किया गया । प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे ।</p> <p>हमने वकील प्रार्थीगण की इकतरफा बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया । प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेजों व शपथ पत्र के आधार पर प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है ।</p> <p>अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व शपथ पत्र के आधार पर इस आशय की अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण आगामी तारीख पेशी तक रोही मौजा थिराना तहसील नोहर के खाता स0 599/357 की कुल 2.8160 हैक्ट भूमि एवं रोही मोजा निमला तहसील नोहर के खाता स0 15/15 की कुल 12.5070 हैक्ट भूमि में वादीगण की सींव डोल मिस्मार न करे। उपरोक्त स्थगन मंजूरशुदा रास्ता व मंजूरशुदा खाला, रोडा एक्ट के प्रकरण व वाफ्कोस कार्यवाही पर लागू नहीं होगा। वकील सायल गौरसायलान की तलबी/सायल आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना सुनिश्चित करे अन्यथा अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः ही निरस्त समझी जावेगी इस संबंध में अप्रार्थीगण को कोई उज्र ऐतराज हो तो असालतन या वकालतन इस न्यायालय में उपस्थित होकर वजह जाहिर करे। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस रजिस्टर्ड/ सम्मन से तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 05.08.2024 को पेश हो ।</p>	

5-8/24

~~पत्रावली पेश हुई वकील सायल गौरसायलान
उपस्थित वही पुन वकील सायल गौरसायलान
वा वकील सायल गौरसायलान जज के
सायल गौरसायलान वकील सायल गौरसायलान
वा वकील सायल गौरसायलान जज के
सायल गौरसायलान वकील सायल गौरसायलान
वा वकील सायल गौरसायलान जज के~~

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

